ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-12*January- 2022
Innovation The Research Concept

अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण निरोधक प्रयास - एक विश्लेषण

Environmental Pollution Prevention Efforts At International Level - An Analysis

Paper id: 15631 Submission: 11/01/2022, Date of Acceptance: 21/01/2022, Date of Publication: 23/01/2022

अनीता मेवाफरोश
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति शास्त्र विभाग,
शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय गुना, मध्य
प्रदेश, भारत

सारांश

मानव एक सामाजिक प्राणी है । इसी समाजिक परिवेश में वह बड़ा होता है, तथा उसी के अनुरूप गतिविधियाँ भी करता है । यही सामाजिक परिवेश, मनुष्य के आचार-विचार क्रिया-कर्म आदि का निर्माण कर उसे समाज में रहने लायक बनाता है । लेकिन यह सामाजिक परिवेश चारों ओर से प्राक्रतिक परिवेश - हवा, पानी, नदी, पहाड़, समुद्र तथा मैदान आदि से घिरा रहता है । अतः स्वस्थ्य एवं अच्छे जीवन के लिए सामाजिक एवं प्राक्रतिक परिवेश में तदातम्य होना नितांत आवश्यक है । वे एक दूसरे के पूरक है । दूसरे शब्दों में दोनों का संतुलन अनिवार्य है । संतुलन के अभाव में जीवन का विनाश कोई रोक नहीं सकता ।

Human is a social animal. He grows up in this social environment, and does activities accordingly. This social environment, by creating the conduct, thoughts, actions and actions of a person, makes him fit to live in the society. But this social environment is surrounded by natural surroundings - wind, water, river, mountain, sea and plain etc. Therefore, it is absolutely necessary to be identified with the social and natural environment for a healthy and good life. They complement each other. In other words a balance of both is essential. In the absence of balance no one can stop the destruction of life.

मुख्यशब्द : अन्तराष्ट्रीय, पर्यावरण, विश्लेषण
Keywords: International Environment Analysis

प्रस्तावना

वर्तमाल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक युग में सामाजिक एवं प्राक्रतिक परिवेश से संतुलन क्रमशः क्षरित हो रहा है और हम सभी विनाश की ओर अग्रसर होते जा रहे है । आज न केवल हमारे लिए वरन सम्पूर्ण विश्व के लिए पर्यावरण में संतुलन तकनीक संसाधनों की अधिकता तथा औद्योगिक प्रति-स्पर्द्धा के कारण और अधिक विकराल होती जा रही है । विशेष रूप से विकासशील तथा त्रतीय विश्व के देशों में पर्यावरण अधिक प्रदूषित होता जा रहा है, क्योंकि यहां आर्थिक स्थिति को उपर उठाने तथा विकसित देशों द्वारा ओर अधिक लाभ की प्रतिस्पर्द्धा ने आज प्रदूषण को काफी बड़ा दिया है ।

वर्तमान वैज्ञानिक एवं औद्योगिकयुग में सामाजिक एवं प्राक्रतिक परिवेश में संतुलन क्रमशः क्षरित हो रहा है और हम सभी विनाश की ओर अग्रसर होते जा रहे है । आज न केवल हमारे लिए वरन सम्पूर्ण विश्व के लिए पर्यावरण में संतुलन एक समस्या बन गई है । निश्चय ही अत्यधिक औद्योगीकरण जनसंख्या में सुरक्षा गति, संससाधनों का अनुचित दोहन जनमानस की लापरवाही, पर्यावरण के ज्ञान की अनभिज्ञता तथा गलत तकनीक आदि कारणों से पर्यावरण दिनों-दिन प्रदूषित हो रहा है । राजनीतिक जागरूकता से लोगों में थोड़ी बहुत पर्यावरण के प्रति चेतना अवश्य आई है तथा प्रशासनिक स्तर पर भी थोड़ा बहुत ध्यान इस दिशा में दिया जा रहा है लेकिन इस विकराल समस्या के बढ़ने के पीछे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ठोस पहल एवं कानूनों का अभाव है, फिर भी पर्यावरण प्रदूषण निरोधक प्रयास अन्तरा्रष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा अपने-अपने ढंग से किये जाते रहे हैं । इन प्रयासों में सरकारी एवं गैर सरकारी विभिन्न संगठनों समूहों द्वारा किए जा रहे कार्य सम्मिलित है, लेकिन सभी का उल्लेख किया जाना संभव नहीं हैं । तथापि विकसित देशों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण सम्बंधी विभिन्न प्रयासों को कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया है । चीन, भारत, इन्डोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कोरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश आदि देशों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण निरोधक विभिन्न कानूनी प्रावधान तो किए ही है साथ ही समाजिक स्तर पर जन-चेतना के भी प्रयास निरन्तर किए जाते रहे है, वस्तुतः इस दिशा में सक्रियता 1970 के बाद विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न स्तरों पर द्रष्टिगोचर हुई है । विकासशील देश पर्यावरण सरंक्षण हेतु कानूनी स्तर पर प्रयासरत है । अधोलिखित तालिका द्वारा प्रथम द्रष्टवय अवलोकन उपयुक्त होगा ।

विकासशील देश - पर्यावरण संरक्षण कानून तालिका

क्रमांक	देश	पर्यावरण संरक्षण कानून	लागू वर्ष
1	बांग्ला देश	प्रदूषण नियंत्रण अध्यादेश	1977
2	थाइलैंड	राष्ट्रीय पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार एवं प्रगति हेतु अधिनियम	1978
3	श्रीलंका	राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम	1980
4	इन्डोनेशिया	अधिनियम सं 4 रहन–सहन सम्बंधी पर्यावरण प्रबंधन कानून	1982
5	मलेशिया	पर्यावण गुणवत्ता संशोधन अधिनियम	1985
6	नेपाल	सातंवी विकास योजना 1985–90 पर्यावरण संरक्षण	1985
7	भारत	पर्यावरण सुंरक्षा अधिनियम	1986

भारत के संदंर्भ में भारत-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के सम्बंध में चर्चा करना महत्वपूर्ण है । भारत सरकार द्वारा पारित सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है । यह काफी विस्त्रत एवं बहु-आयामी स्वरूप का है । आज जो भी नियम उपनियम पारित होते है या संशोधन किए जाते है उन सभी का मूल आधार इसी अधिनियम को बनाया जा रहा है । यह अधिनियम 7 अध्यायों में लिपिबद्ध है जिनमें तीसरा-चौथा अध्याय विभिन्न उद्योगों के नियमन तथा पर्यावरण संरक्षण के विस्त्रत प्रावधानों का उल्लेख किया गया है ।

वस्तुतः भारत विश्व में एक मात्र देश है, जिसने पर्यावरण के सम्बंध में संविधान में संशोधन किया है। अतः संविधान के अनुच्छेद 51 (क) में "प्रत्येक नागरिक का मुख्य कर्त्तव्य पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवन संरक्षण से सम्बंधित है । अतः प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि वे वन, झील, नदी और वन्य जीव (जो प्राक्रतिक पर्यावरण के अन्तर्गत आते है) की रक्षा करेगा ।"

पर्यावरण संबंधी विषयों को संघ एवं राज्यों की सूची में विभाजित किया गया है।

संघ सूची

लोकहित में उद्योगों का विनियमन, खानों की सुरक्षा, अन्तर्राज्यीय नदियों में मछली पकड़ना जनसंख्या नियंत्रण आदि ।

राज्य सूची

शोर नियंत्रण, नगर नियोजन, भूमि विकास, सिंचाई, गंदी बस्ती सुधार ग्रह निर्माण योजनाऐं, कीटाणु नियंत्रण, धुआं नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण तथा वन्य जीव पुनरुद्धान आदि ।

जनसंख्या में अभिव्रद्धि तथा औद्योगिक विकास के कारण वन संरक्षण सम्बंधी अधिनियम भी बनाया गया ताकि वनों की सुरक्षा, पेड़ों की कटाई की रोकथम तथा वन्य जीवों को सरंक्षण दिया जा सके । विभिन्न प्रान्तों ने अपने-अपने प्रांत में इस दिशा में विभिन्न कानूनी प्रावधान किए है हालांकि इसका व्यवहारिक पक्ष उतना सबल नहीं हो पा रहा है । अतः विभिन्न समाज सेवी संगठनों द्वारा इस दिशा में जन चेतना जाग्रति के कार्य किये जा रहे है ।

7 दिसम्बर 1988 को नवीन वन नीति की घोषणा की गई, जिसमें पहाड़ी घाटियों व नदियों के क्षेत्रों में वन-क्षेत्र बढ़ाना, वनों पर गीरबों व आदिवासियों के अधिकारों को सरंक्षण, वनों की उत्पादकता में व्रद्धि करना, पर्यावरण संतुलन को बनाये रखना तथा उद्योगों के विकास से वनों की क्षति रोकना आदि पर जोर दिया गया ।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में परित किया गया तथा 1 फरवरी 1973 से उ0 प्र0 में लागू कर दिया गया । 2 अक्टूबर 1991 में भारत सरकार द्वारा इसमें संशोधन कर इसे सख्त बनाते हुए दण्ड का प्रावधान किया गया ।

नेपाल द्वारा भी सातंवी विकास योजना 1985-90 से लगातार पर्यावरण संरक्षण सम्बंधी अनेक प्रयास किए जा रहे है । इन प्रयासों में बाढ़ नियंत्रण, भूमि कटाव विरोधी उपाय तथा वन संरक्षण के साथ वन्य प्राणियों की सुरक्षा के भी प्रयास किए जा रहे है । हालांकि मैदानी इलाकों की अपेक्षा पहाड़ी देशों में पर्यावरण का संकट तथा प्रदूषण की समस्या, अपेक्षाक्रत कम है तथापि बढते जनसंख्या दबाव, औद्योगिक प्रगति तथा आवागमन के बढ़ते रहने से इस दिशा में सतत सावधानी की जरुरत अवश्य है ।

पर्यावरण की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

वर्तमान दौर में, पर्यावरणविद वैज्ञानिक सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्वयं सेवी संस्थाऐं सभी पर्यावरण के प्रति चिंतित हो रहे है तथा पर्यावरण संरक्षण के अपने-अपने उपाय सुझा रहे है । वर्तमान प्रजातंत्रीय युग में प्रत्येक उभरती, ज्वलंत जनसमस्या राजनीति का रुप ले लेती है । पर्यावरण प्रदूषण में सरकारी स्तर पर उदासीनता का भाव तथा कुछ जागरुक लोगों द्वारा पर्यावरण संरक्षण से निजी भागीदारी होने के कारण इसमें भी राजनीति ने प्रवेश पा लिया है । अत- पर्यावरणीय राजनीति राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर काफी प्रभावशील रही है ।

पर्यावरण की राजनीति के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण से सम्बंधित विभिन्न आंदोलन जन समर्थन राजनीतिक तथा संसदीय हस्तक्षेप आदि शामिल है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ है।

कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा इसका प्रयोग व्यक्तिगत लोकप्रियता तथा वोट प्राप्ति के लिए किया जा रहा है तो कभी अपने निजी हितों को प्राथमिकता देते हुए प्रदूषण के कु-परिणामों को नजरअंदाज भी किया जा रहा है। पर्यावरण का प्रयोग राजनीतिक आंदोलन के हथियार के रुप में भी खूब हो रहा है। दुनिया भर में विरोध रैलिया, जन प्रदर्शन तथा धरना प्रदर्शन आदि इसके प्रतीक है। कुछ लोग इसे हरित क्रांति का रुप दे रह है। कई देशों में तो इसी आधार पर चुनाव भी जीते गए है। 1983 मे ग्रीस दल पश्चिमी जर्मनी के संसदीय चुनावों में इसी आधार पर 28 सीटें जीती। इसके बाद ग्रीन पीस नाम पर्यावरणनिषेधी ग्रुप ने जीवों की सुरक्षा को लेकर सरकार पर दवाब बनाया। 1930-40 के दशकों में इस पर खूब शोर शराबा हुआ। 1945 मे पिट्सबर्ग में अधिकांश लोगों की म्रत्यु निमोनिया के कारण हुई थी। एक सार्वजनिक स्थान पर प्रदूषणकारी संयत्रों की स्थापना से काफी बवाल मचा। अततः भीषण दुर्घटना घट गई। अमेरिका के अलावा ब्रिट्रेन, जापान, जर्मनी तथा अन्य देशों द्वारा राजनीति दो प्रकार से की जा रही है -

1. संयुक्त रुप से गुट बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय रुप देना।
2. अपने देश में सीमित होकर।

राजनीतिज्ञों तथा पर्यावरणविदों द्वारा उठाये जा रहे विभिन्न कदम संयुक्त रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1972 में प्रथम प्रथ्वी शिखर सम्मेलन स्टाक होम में आयोजित हुआ। यह विकसित तथा विकासशील देशों द्वारा पर्यावरण संरक्षण सम्बंधी प्रथम राजनीतिक प्रयास था। इस सम्मेलन में निम्न बिन्दू विचारणीय थे-

1. पर्यावरण रक्षा - मौसम परिवर्तन से ओजोन परत का क्षय होने से बचाव व वायु प्रदूषण से बचाव करना।
2. संसाधनों की रक्षा - विनाश की समस्या से निबटना तथा रेगिस्तानीकरण से बचने के उपाय।
3. जैव विवविधता का संरक्षण।
4. शुद्ध-जल स्रोतों की रक्षा।
5. समुद्र तथा तटीय क्षे त्रों की रक्षा व जैवीय संसाधनों का उचित उपयोग तथा उनका विकास।
6. जैव तकनीकी व मवेशियों के लिए पर्यावरणीय संतुलन प्रबंधन।
7. हानिकारक धुआ वाले उद्योगों तथा वाहनों पर रोक तथा अवज्ञा की स्थिति में दण्ड का प्रावधान।
8. जीवन तथा मानव स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार करना।
9. गरीबी निवारण तथा पर्यावरणीय क्षति की रोकथाम आदि करना।

पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण सुधार सम्बंधी राजनीतिक सम्मेलन जून 1992 में रियो द जनेवा में विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य समझ विकसित करने हेतु आयोजित किया गया था। 130 देशों के सम्मेलन को प्रथ्वी संसद नाम दिया गया। प्रथ्वी को प्रदूषण से बचाने हेतु प्रायः सभी देशों में काफी सहयोग तथा वित्तीय सहयोग हेतु सहमति भी बनी लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश के नकारात्मक रूख के कारण यह सम्मेलन विफल हो गया। उन्होंने कहा कि हम अमरीकी जनता के हितों पर कोई समझौता नहीं करेंगें। वस्तुतः प्रथ्वी की साफ-सफाई तथा उसके संतुलित विकास हेतु विकसित देशों को पैसा देना था। तात्कालीन भारतीय पर्यावरण मंत्री श्री कमलनाथ का कहना था- “हमें तो सहायता का पक्का आश्वासन चाहिए था नकद धन नहीं क्योंकि अभी कार्यक्रम अधूरा था।”

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र का उद्देश्य अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण का निरोधक प्रयास करना है।

पर्यावरण संरक्षण तथा विश्व स्तर पर मतभेद

रियो सम्मेलन के दौरान विकसित एवं विकसित एवं विकासशील देशों के बीच मतभेद काफी गहरा गए। उदाहरणार्थ -

1. अधिकतर विकसित देश 2005 तक कार्बन डाइआक्साइड तथा मिथैल गैसों के उत्सर्जन में मात्र 20 प्रतिशत कटौती चाहते थे, जबकि विकासशील देश इसमें भारी कटौती के पक्षधर थे।
2. अमीर एवं विकसित देश उष्ण कटिबंधीय वनों की कटाई पर कानूनी बाध्यता चाहते थे जबकि विकासशील देश इसे प्रतिबंध मार रहे थे क्योंकि इस अंधाधुंध कटाई के लिए विकसित राष्ट्र ही जबावदार थे।
3. पर्यावरण विनाश का कारण जनसंख्या विस्फोट एवं गरीबी को विकसित राष्ट्र जिम्मेवार मानते थे, जबकि विकासशील राष्ट्र इसका कारण संसाधनों का अत्यधिक उपभोग को मानते थे। 75 प्रतिशत संसाधनों का प्रयोग इन्ही राष्ट्रों द्वारा होता है।
4. विकसित देश तकनीकी विकास को कम करना चाहते थे जबकि विकासशील तकनीकी ज्ञान का प्रयोग प्रदूषण कम करने के पक्ष में करना चाहते थे। तथा वे राष्ट्र यह भी चाहते थे कि यह उच्च तकनीक छोटे राष्ट्रों को सस्ती दरों पर मिले।

5. विकसित देश अनिवार्य अनुदान के पक्ष में नहीं थे तथा पैसे का वितरण संयुक्त राष्ट्र ऐंजसियों के माध्यम से हो, जबकि विकासशील राष्ट्र पर्यावरण सुधार हेतु किसी अन्य संस्था के माध्यम से खर्च करने के पक्षधर थे ।

अतः उक्त मतभेदों के कारण यह मंच आरोप-प्रत्योरोपों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण राजनीति का मंच बन गया ।

नई दिल्ली स्थित सेंटर फार साइंस एण्ड इनंवायरमेंट के निदशक श्री अनिल अग्रवाल के शब्दों में, श्विकसित देश उत्सर्जन में कटौती करके पर्यावरण की स्थिति को सुधारे या फिर ज्यादा खपत की कीमत अदा करे ।"

वनों को विश्व की सामूहिक सम्पत्ति घोषित करने पर भी विकासशील देशों को राजनीतिक खतरा नजर आता है । यू0 एन0 पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में मलेशिया ने कहा कि वनों को वैश्विक सम्पत्ति बनाने की आधी-अधूरी धारणाओं से हमें सावधान रहना होगा । क्योंकि राबिन हुड के विपरीत ये अमीर देश अमीरों को बचाने के लिए गरीबों को लूट रहे है ।

इस सम्मेलन में प्रत्येक देश प्रदूषण को कम करने का अन्तर्राष्ट्रीय द्रष्टिकोण न अपनाते हुए निजी द्रष्टिकोण के आधार पर अपनी लोकप्रियता भुनाने में भी लगे हुए थे । गंगा नदी में प्रदूषण तत्व छोड़ने के कारण भारत के पर्यावरण मंत्री श्री कमलनाथ को कहना पड़ा कि - "अगर मै अच्छा मंत्री बनने चलूं तो मुझे लगभग देश के 60 प्रतिशत उद्योगों को बंद करना पड़ेगा ।"

घाना के पर्यावरण मंत्री वमीना होई का कहना था कि - "हमारे पास ज्यादा उद्योग तो है नहीं इसलिए हमें खतरनाक या विषैले कचरे के बारे में नहीं सोचना । हमारी प्राथमिकता लोगों को शुद्ध जल मंुहैया कराना ताकि पानी-रोगों से लोगों को मुक्ति दिलाना है ।"

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की व्यक्तिगत समस्या जनसंख्या अधिकता के कारण पैदा हुई है जो पर्यावरण के लिए घातक है। पारिस्थितिकीय असंतुलन के जिम्मेवार तत्व भूखमरी और आवासहीनता है, जिससे कुपोषण तथा अभाव के मध्य से पर्यावरण को प्रभावित करते है । आज दुनिया में 55 प्रतिशत करोड से भी ज्यादा लोग कुपोषण के शिकार है तथा भूख से मरने वालों की संख्या में भी काफी व्रद्धि हुई है । यह हमारे सभ्य समाज का आज अभिन्न अंग बन गया ।

वस्तुतः प्रथ्वी एक ही है । जीवमण्डल में, मानव स्रजन एवं विनाश की असली भूमिका में है । यदि विज्ञान और प्रोद्यौगिकी को मनुष्य जाति की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना है तो प्रत्येक देश को तत्तसबंधी निर्णय भी लेना चाहिए । वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणी राजनैतिक सम्मेलनों में जागरूकता तथा विचार गोष्ठियों का यह परिणाम हुआ कि विभिन्न देशों में पर्यावरण सम्बंधी हलचलें प्रारम्भ हो गई ।

भारत में भी टिहरी बचाओं आंदोलन बांध परियोजना से सम्बंधित इसका प्रतिरोधी सुन्दर लाल बहुगुणा ने, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर द्वारा संचालित आदि पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण आदि राजनीतिक कारणो से संचालित हो रहे ह,ै जिनमें भौतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ ज्यादा है तथा मानवीय एवं पर्यावणीय समस्याओं को नजर अंदाज कर दिया गया है।

वास्तव में पर्यारवण प्रदूषण के सम्ंबध में यद्यपि जागरूकता तो आई है, लेकिन बिना कानूनी द्रष्टि से कोई भी संस्थान जागरुक नहीं है । गैर जिम्मेदारी का आलम सर्वत्र है । यही कारण है कि भारत में न्यायपालिका को भी इस दिशा में अनेकों जगह हस्तक्षेप करना पड़ा । संस्था तथा स्वंयत्तशासी सस्थाओं, प्रांतीय सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार तक को भी निर्देश एवं चेतावनी देनी पड़ी है ।

सुझाव

1. पर्यावरण सम्बंधी जानकारी प्रारम्भ से ही स्कूल में दी जाये ।
2. उद्योगों आदि की अनुमति से पूर्व सख्ती से सभी औपचारिकताऐं पूर्ण की जाय
3. व्रक्षों के संबर्धन तथा संरक्षण के लिए ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही की जावे ।
4. क्षेत्रीय विकास मास्टर प्लान के तहत हो । प्रदूषण निरोधक नीतिगत योजनाएं बनाई जावे । पर्यटन विकास करते समय प्राक्रतिक सौदंर्य को क्षति न हो इसका ध्यान रखा जाये ।
5. पर्यावरण संरक्षण सम्बंधी विभिन्न कानून जल, वायु, ध्वनि, म्रदा प्रदूषण विरोधी नियमों का सख्ती से नियमन किया जावे। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जावे। साथ ही सतसम्बंधी लाइसेंस रदद करने की भी व्यवस्था हो ।
6. यातायात संम्बंधी नियमों का भी कठोरता से पालन किया जावे ।
7. प्रबुद्ध वर्ग को अपने स्तर पर सामाजिक चेतना तथा जागरूकता अभियान भी समय-समय पर चलाते रहना चाहिए ।
8. यदि आवश्यक हुआ तो जनहित याचिकाओं के माध्यम से मानवीय न्यायालयों के हस्तक्षेप आमंत्रण से भी नहीं हिचकना चाहिए । तभी हम हर स्तर पर इससे निजात पा सकते है

निष्कर्ष

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निजी स्वार्थो की त्याग कर मानवता के व्यापक हित में नीतिगत निर्णय सभी देश लें तथा आपसी सहमतियों का क्रियान्वयन इस तरह करें मानों वे सभ्यता के संरक्षण में अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे है । इससे विकसित और विकासशील देशों में ईर्ष्या एवं द्वेष नहीं पनपेगा । सहयोग आपस में बढ़ेगा । जियांे और जीने दो के सिद्धांत को क्रियान्वयन का अवसर प्राप्त होगा क्योंकि प्रथ्वी सारे विश्व की है जिसकी हर प्रकार से सुरक्षा करना हम सभी का प्राथमिकता दायित्व है अन्यथा हम उसी डाली को काट डालेंगें जिस पर हम सभी का अस्तित्व टिका हुआ है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *लता जोशी : 'पर्यावरण की राजनीति'*
2. *डा0 एन0 डी0 तिवारीः 'वन आदिवासी और पर्यावरण'*
3. *वी0 एल0 शर्माः 'मानव एवं पर्यावरण'*
4. *सरला देवी : 'संरक्षण विनाश'*
5. *आर0 एस0 यादवः 'भारत की विदश नीति एक विश्लेषण' -किताब महल कुरूक्षेत्र 2005*
6. *The Hindustan Times: New Delhi 8/12/88*